वार्षिक रिपोर्ट

एवं

वार्षिक लेखा

2018-19

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in

विषय-सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन	1-2
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2-3
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र	3-4
VI	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	4-5
VII	योजना समिति - गठन एवं कार्य	5-6
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021	6-9
IX	सिन्हावलोकन का वर्ष - 2018-19	9
	क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	9
	i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी: मुख्य परियोजनाएँ	9
	क. रा.रा.क्षे. में सड़क संजाल	9-11
	ख. रेल नेटवर्क	11-12
	1) क्षेत्रीय त्वरित ट्रांज़िट प्रणाली	11
	2) दिल्ली एवं मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एमआरटीएस	11-12
	ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	12
	iii. रा.रा.क्षे में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल ज़िलों के लिए नियोजन	13
	iv. उप-क्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण	13-14
	v. रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	14-15
	रा.रा.क्षे. मे इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी रोड/लिंकेज	15-16
	परिवहन सचिवों/आयुक्तों की समिति की बैठक	16
	ख) बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ	16-18
	अनुलग्नक I : रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा ऋण सहायता प्राप्त प्रक्रियाधीन अवसंरचना परियोजनाओं की सूची	19-27
	ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	28-33
	घ) i) वितीय संसाधन	33-34
	ii) संसाधन संग्रहण	34-35
	iii) लेखों का लेखा परीक्षण	35
	iv) क्षमता विकास सम्बंधी प्रयास-पहल	35-36
	ङ) नई पहल	36
	च) प्रशासन एवं सतर्कता	36-39
	i) प्रशासन	36-37
	ii) सतर्कता	37
	iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)	37
	iv) संगठनात्मक संरचना	38-39

I. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडीV। दिनाँक 22.11.2017 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य	अध्यक्ष
2.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

सहयोगित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजना तैयार करना;

(ख) भाग लेने वाले राज्यो मे से प्रत्येक द्वारा और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;

(ग) भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना प्लानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने, पूर्विकताएँ अवधारित करने और क्षेत्रीय योजना में उपदर्शित प्रक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समंजन करने की बाबत भाग लेने वाले राज्यो और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उचित और व्यवस्थित कार्यक्रम सिनिशिचित करना;

(ड) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चयन की गई विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

IV. शक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) प्रकार्य योजनाओं और उपक्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने, उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन की बाबत, भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से रिपोर्टें और जानकारी मंगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, यथास्थिति, प्रकार्य योजना और उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी, प्रवर्तन और कार्यान्वयन क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम उपदर्शित करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजना, उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान के कार्यान्वयन

का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, पूर्विकता विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो बोर्ड ठीक समझे;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर, किसी ऐसे नगर क्षेत्र का, जिसका उसकी अवस्थिति, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विकास किया जा सके, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, चयन करना;

(छ) समिति को ऐसे अन्य कृत्य सौंपना, जो वह इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (एफ)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है। उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलो का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का मुज़फ्फरनगर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा

इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, रा.रा.क्षे. का क्षेत्र करीब 55,083 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है।

उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (लाख में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गाँव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्झर, पानीपत, पलवल, भिवानी (चरखी दादरी सहित), महेंद्रगढ़, जींद और करनाल	25,327	167.9
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली	14,826	164.3
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447	174.4
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	62.2
	कुल	**55,083**	**581.8**

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी क्षेत्र, उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुन सकता है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नौ काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र है, जो इस प्रकार हैं:

i. हरियाणा में हिसार
ii. हरियाणा में अम्बाला
iii. उत्तर प्रदेश में बरेली
iv. उत्तर प्रदेश में कानपुर
v. राजस्थान में कोटा
vi. राजस्थान में जयपुर
vii. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
viii. पंजाब में पटियाला
ix. उत्तराखंड में देहरादून

क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतर्रोधक बनना; और

ख) क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा"।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोगित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)

II. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी विकास निगम

III. संयुक्त सचिव (यू.टी.), वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार

V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कृत्य :

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजनाओं को तैयार करने में और उनके समन्वित कार्यान्वयन में; और

(ख) उपक्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना प्लानों की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं जांच करने मे बोर्ड की सहायता करना होगा।

(2) समिति किसी उपक्षेत्रीय योजना या किसी परियोजना प्लान की संशोधित या उपांतरित करने के लिए बोर्ड से ऐसी सिफारिश कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने, संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों, परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढ़ाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम

प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नों के साथ पूर्णत: एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ङ) युक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था। क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार जनसंख्या	नए शामिल ज़िलों सहित जनसंख्या
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली	138.50	167.9
2	हरियाणा उप क्षेत्र	86.8	164.3
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	115.7	174.4
4	राजस्थान उप क्षेत्र	29.9	62.2
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**371.0**	**581.8**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास नोड्स के रूप में विकास ।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।

- दिल्ली के चारों ओर परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गों और आरबिटल रेल गलियारे का निर्माण।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्यौगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और मूल गांवों को शामिल करते हुए एक छःस्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेड़ा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर

10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उनके संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं और महायोजना/विकास योजना इत्यादि जैसी विभिन्न पदानुक्रम योजनाओं द्वारा विस्तारित किया जाना है। क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसे भौतिक आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा नए और अभिनव दृष्टिकोणों को अपनाया जाना आवश्यक है। भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को भवन निर्माण उपनियमों में एकीकृत करने की आवश्यकता है और एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा जल पुनर्भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न नगर नियोजन/शहरी विकास/शहरी सुधार अधिनियमों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना-2021 ने एनसीआर के तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप जल, वन और जैव विविधता जैसे घटते प्राकृतिक संसाधनों के लिए चिंता जताई है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2018-2019

वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रा.रा.क्षे.यो.बो. ने एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों/एजेंसियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के द्वारा विभिन्न पहल/कार्रवाइयां की हैं।

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी: मुख्य परियोजनाएँ

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क संजाल

क्षेत्रीय योजना-2021 क्षेत्र में अनुमानित विकास को प्रोत्साहित, मार्गदर्शित करने और बनाए रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय कस्बों के बीच उच्च यातायात इंटरैक्शन को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव करता है। एनसीआर में

प्रस्तावित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

i) प्राथमिक सड़क तंत्र
ii) माध्यमिक सड़क नेटवर्क
iii) तृतीयक सड़क नेटवर्क

प्राथमिक सड़कें एनसीटी-दिल्ली के साथ क्षेत्रीय/प्राथमिक शहरों को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें हैं। क्षेत्रीय योजना-2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का विकास सीएनसीआर कस्बों तक (यानी एनएच-1 दिल्ली से कुंडली तक, एनएच-2 दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, एनएच-8 दिल्ली से गुड़गांव तक, एनएच-10 दिल्ली से बहादुरगढ़ तक और एनएच-24 दिल्ली से गाजियाबाद तक) एक्सप्रेसवे मानकों पर प्रस्तावित किया है।

पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, अर्थात्, एनएच-1, एनएच-2, एनएच-8, एनएच-10 और एनएच-24 (पुरानी संख्याएं) एनसीटी दिल्ली में रिंग रोड पर मिलती हैं जिसके परिणामस्वरूप केवल रिंग रोड पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में प्रमुख सड़कों पर भी भारी भीड़ होती है। बाई-पास प्रदान करने के लिए, क्षेत्रीय योजना-2021 में दिल्ली के आसपास परिधीय एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए थे। दिल्ली के पश्चिमी परिधि में एनएच-10 और एनएच-8 के माध्यम से दक्षिण में पलवल में उत्तर में एनएच-2 को कुंडली में एनएच-1 को जोड़ने वाली इस बाईपास रोड का पश्चिमी आधा पश्चिमी परिधीय (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) कहा गया है। दिल्ली के पूर्वी किनारे पर एनएच-24 के माध्यम से दक्षिण में पलवल में उत्तर में एनएच-2 में कुंडली में एनएच-1 को जोड़ने वाली इस बाईपास रोड का पूर्वी आधा पूर्वी परिधीय (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) एक्सप्रेसवे के रूप में नामित किया गया है (ईपीई)।

• एचएसआईआईडीसी, हरियाणा सरकार द्वारा डब्ल्यूपीई का कार्यान्वयन किया जा रहा है, पलवल से मानेसर तक डब्ल्यूपीई 2016 में शुरू किया गया था तथा शेष हिस्सा नवम्बर, 2018 मे शुरू कर दिया गया है।
• ईपीई और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है।

माध्यमिक सड़क नेटवर्क में क्षेत्र के प्राथमिक शहरों और क्षेत्र के प्राथमिक सड़क नेटवर्क के साथ छोटे शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख जिला सड़क शामिल हैं। अनुमानित यातायात और आसपास के क्षेत्रों आवागमन के आधार पर ये सड़कें दो लेन/मध्यवर्ती/एकल लेन के होने का प्रस्ताव है।

तृतीयक सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव है कि सभी गांवों, कार्यस्थलों, छोटे व्यवसाय, रोजगार केंद्र, आवासीय क्षेत्रों और कृषि/वन क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। इसमें उप-क्षेत्रीय कस्बों और द्वितीयक सड़क नेटवर्क को जोड़ने वाली सिंगल/इंटरमीडिएट/डबल लेन मेटल वाली सड़कों का समावेश होगा।

ख) रेल नेटवर्क

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि केवल सड़क नेटवर्क का विकास एनसीआर में परिवहन की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एक एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

✓ **क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस)**

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट गलियारों की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के बीच और दिल्ली के साथ क्षेत्रीय कस्बों को जोड़ना चाहिए और इसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय योजना-2021 की सिफारिशों के अनुपालन में, बोर्ड ने एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना तैयार की, जिसमें तेज़ एवं कुशल आठ आरआरटीएस कॉरीडोर यथा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-रेवारी-अलवर, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लबगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक, गाजियाबाद-हापुड़ और दिल्ली-शाहदरा-बारौत की एनसीआर के यात्रियों के लिए सिफारिश की गई है। आठ आरआरटीएस कॉरीडोर में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा तीन प्राथमिकता प्राप्त गलियारों पर कार्य किया जा रहा है।

1. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (लगभग 82 किमी)
2. दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (लगभग 111 किमी)
3. दिल्ली-गुड़गांव-रेवारी-अलवर (लगभग 180 किमी)

✓ **दिल्ली एवं सीएनसीआर शहरों के लिए एमआरटीएस**

क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों तक बढ़ाया जाएगा और दिल्ली में अपग्रेड किए गए रिंग रेलवे और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना बनाई जानी

चाहिए। एमआरटीएस का विस्तार गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे सीएनसीआर शहरों से जोड़ दिया गया है।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया। ड्राफ्ट संशोधित आरपी-2021 (डीआरआरपी-2021) को एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि के परामर्श से तैयार किया गया था और एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के प्रावधानो के अंतर्गत वर्ष 2014 में इसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने डीआरआरपी-2021 पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ&सीसी) मंत्रालय से टिप्पणियों की मांग की गई थी।

विचार-विमर्श के कई दौर के पश्चात, एमओईएफ&सीसी ने दिनांक 11.01.2017 के पत्र द्वारा डीआरआरपी-2021 के 'अध्याय 14: पर्यावरण' और 'अध्याय 17: क्षेत्रीय भू-उपयोग' पर टिप्पणियाँ प्रदान की। दिनांक 04.12.2017 को आयोजित बोर्ड की अगली बैठक (37वें) में एमओईएफ&सीसी के टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बोर्ड ने फैसला किया था कि एनसीआर प्रतिभागी राज्य एमओईएफ&सीसी की टिप्पणियों पर अपने विचार/सुझाव प्रदान कर सकते हैं और इस मामले पर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जा सकता है। अत: उक्त मुद्दो पर चर्चा और उनके निराकरण हेतु दिनांक 18.12.2018 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) की अध्यक्षता मे एक बैठक बुलाई गई। समिति की सिफारिशें बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में दिए गए प्रावधान एवं बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण मे, क्षेत्रीय योजना-2021 की दूसरी समीक्षा का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की गई है और तीन बैठकें (तीसरी बैठक 06.09.2018 को) आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय योजना-2021 के क्षेत्रों/अध्यायों की समीक्षा करने के लिए चौदह उप-समूह गठित किए गए हैं। अध्ययन समूहों की पंद्रह बैठकें आयोजित की जा चुकी है। एनसीआर प्रतिभागी राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ उक्त अध्ययन समूहों का हिस्सा हैं। समीक्षा प्रक्रिया प्रगति पर है।

iii) एनसीआर में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल जिलों के लिए नियोजन

एनसीआर में सात (चरखी दादरी सहित) नए ज़िलों (दिनांक 1.10.2013 के अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले; दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य के जिंद और करनाल जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले तथा 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा उ.प्र. के शामली ज़िले) के सम्मिलन के पश्चात, क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी का काम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत एनसीआर के अतिरिक्त जिलों के लिए क्षेत्रीय भूमि उपयोग की रचना का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारत सरकार को सौंपा गया है। वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र एनआरएससी द्वारा तैयार किए गए हैं और संबंधित एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। शामली जिले की अधिसूचना के पश्चात, उक्त कार्य में शामली को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

iv) उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अंतर्गत *"प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा"*। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सभी प्रतिभागी राज्य सरकारों के साथ मिलकर उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी के सम्बंध मे कार्य कर रहा है।

उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
रा.रा.क्षे. दिल्ली	बोर्ड ने तय किया कि दिल्ली की महायोजना-2021को ही दिल्ली की उपक्षेत्रीय योजना मान लिया जाए। तथापि, इस महायोजना में अंतर्राज्यीय सम्बद्धता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तय किया है कि डीडीए/अन्य एजेंसी उप-क्षेत्रीय योजना बनाने में शामिल होवें, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बनाया जाए एवं दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाए जाने से पूर्व दिल्ली सरकार व रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा अनुमोदित किया जाए।
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित किया। हालाँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को क्षेत्रीय योजना-2021 के ज़ोनिंग

	विनियमों का अनुपालन न करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 को राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उपक्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2014 मे अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ&सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए जोड़े गए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी के संबंध में, 20.02.2014 को आयोजित 63वीं योजना समिति और 15.06.2016 को सम्पन्न 36वीं बोर्ड बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी संबंधित प्रतिभागी राज्यों के साथ चर्चा की। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने दिनांक 30.05.2018 के ज्ञापन द्वारा "एनसीआर के विस्तारित हरियाणा उप-क्षेत्र" के चार नए जोड़े गए जिलों यानी महेंद्रगढ़, भिवानी (चरखी दादरी सहित), जींद और करनाल के लिए संशोधित उपक्षेत्रीय योजना-2021 तथा समुक्तियों पर बिंदुवार जवाब 19.06.2018 को प्रस्तुत किए गए थे। इसके पश्चात, हरियाणा सरकार ने पुन: 29.10.2018 को इस विषय पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और तदनुसार, चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों के आधार पर हरियाणा सरकार को विधिवत संशोधित उपक्षेत्रीय योजना प्रस्तुत करनी थी। उक्त उपक्षेत्रीय योजना की जांच की गई और एनसीआरपीबी की टिप्पणियों को हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है। राजस्थान सरकार भरतपुर जिले के लिए उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी कर रही है। उ. प्र. सरकार भी विस्तारित क्षेत्र के ज़िलों मुजफ्फरनगर और शामली के लिए उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी कर रही है।

v) रा.रा.क्षे. की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह (पीएसएमजी), विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति। ब्यौरा निम्नलिखित है:

- 13.07.2018 को आयोजित पीएसएमजी-1 (56वीं) की बैठक
- राज्यस्तरीय संचालन समिति की एक बैठक-उ.प्र. (28.09.2018)
- सभी प्रतिभागी राज्यो के एनसीआर सेल के साथ समीक्षा बैठक, उपक्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए (23.04.2018)
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण हेतु गठित समिति की बैठक (10.10.2018)

इसके अलावा, बोर्ड की 37वीं बैठक मे लिए गए निर्णयों के अनुपालन मे निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:

- अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी सड़कों/लिंकेज से संबंधित मुद्दे: अपर सचिव (डी&डब्ल्यू), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 20.8.2018 एवं 20.12.2018 को आयोजित बैठक।
- पीएमओ के निर्देशों के अनुपालन में ड्राफ्ट संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए 18.12.2018 को सचिव (एचयूए), भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
- दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए 16.08.2018 को अपर सचिव (डी एंड सी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक हुई।

एनसीआर में इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी रोड / लिंकेज

एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित एजेंसियों/विभागों के परामर्श के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एनसीआर में विभिन्न अंतर-राज्यीय सड़कों/लिंकेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के प्रयास किए। बवाना औचंदी मार्ग से संबंधित मुद्दों को हल कर दिया गया है और इसे राज्य राजमार्ग-18, हरियाणा तक बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित लिंकेज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्रतिभागी राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों/विभागों के साथ चर्चा कर रहा है:

1. कालिंदी बाय-पास सड़क आश्रम चौक, दिल्ली से फरीदाबाद बाय-पास।
2. कालिंदी कुंज-नोएडा (120 मीटर बहाव) के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण; और नोएडा में चिल्ला रेगुलेटर (मयूर विहार के पास), सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाईओवर) तक ड्रेन-एलाइनमेंट के साथ एलिवेटेड रोड।
3. 80 मीटर द्वारका लिंक जोनल प्लान के-II में गुड़गांव को जोड़ने वाला (150 मीटर की चौड़ाई एवं 30 मीटर की हरित पट्टी वाले एनपीआर के माध्यम से)
4. तिलोरी गाँव, फरीदाबाद के साथ सेक्टर 149-ए और 150 नोएडा को जोड़ने वाला पुल
5. सेक्टर 168 और 167-ए, नोएडा को लालपुर गांव, फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल
6. छपरौली और हाथवाड़ा (ग्राम पानीपत, हरियाणा) के बीच यमुना पर पुल
7. गुड़गांव क्षेत्र को नजफगढ़ रोड से जोड़ने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क लिंक

8. उत्तर प्रदेश मे यूईआर-I, दिल्ली से खेकड़ा सिटी रा.रा.-57 तक और यूईआर-II, दिल्ली से ट्रॉनिका सिटी रा.रा.-57 तक
9. एजुकेशन सिटी, कुंडली से 60 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली से जोड़ने और जोन पी-II के जोनल प्लान में शामिल करने की आवश्यकता है
10. महरौली-गुड़गांव रोड को रा.रा.-236 के रूप में विकसित किया जाना
11. रिंग रोड (इंदर लोक मेट्रो स्टेशन) से सड़क और मौजूदा यमुना नहर लिंक रोड हरियाणा की सीमा तक
12. दिल्ली के रिज के माध्यम से नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट (वसंत कुंज फ्लाईओवरके पास) को जोड़ने वाली गुड़गांव-महरौली सड़क।
13. ग्वाल पहाड़ी मंडी गाडाईपुर-जौनपुर सड़क को अंधेरिया मोर, दिल्ली तक अपग्रेड करना

परिवहन सचिवों/आयुक्तों की समिति की बैठक (CoTS):

वाहनों के निर्बाध आवाजाही के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के मध्य "अनुबंध कैरिज" हेतु नए पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (आरसीटीए) से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई।

ख. **बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8(ङ) के तहत बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सीएमए के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित), काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75% ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा बाकी राशि उन्हे स्वयं वहन करनी होती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर, बोर्ड की शक्तियां परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-I (पीएसएमजी-I) और परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) को सौंप दी गई हैं।

सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-1 (पीएसएमजी-I) को रू20.00 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत की परियोजनाओं और

रू50.00लाख से अधिक के परामर्शी अध्ययन के लिए ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। जबकि, रू20.00 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं और रू50.00 लाख तक की अनुमानित लागत वाले परामर्शी अध्ययनों को परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) में अनुमोदन के लिए सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 13.7.2018 को परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-I की 56वीं बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें रू461.58 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 4 अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए रू346.22 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे।

बोर्ड ने रू30809 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 353 अवसंरचना विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से रू14664 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने मार्च, 2019 तक लगभग रू11512 करोड़ की ऋण राशि जारी की है।

पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के साथ उपक्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका-1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप-क्षेत्रवार ब्यौरे (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-जयपुर समेत]	प्रक्रियाधीन	54	3591	2573	1750
		पूर्ण	30	1679	631	595
	उप-योग		**84**	**5270**	**3203**	**2345**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	6	7015	2557	1962
		पूर्ण	51	2117	919	681
	उप-योग		**57**	**9132**	**3475**	**2643**
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	प्रक्रियाधीन	28	1316	889	467
		पूर्ण	173	13780	6222	5548
	उप-योग		**201**	**15097**	**7111**	**6015**

4	एनसीटी- दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उप-योग		**3**	**623**	**386**	**330**
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	0	0	0	0
		पूर्ण	2	79	46	46
	उप-योग		**2**	**79**	**46**	**46**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	475	341	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उप-योग		**6**	**608**	**442**	**133**
	कुल	प्रक्रियाधीन	**91**	**12499**	**6436**	**4230**
		पूर्ण	**262**	**18310**	**8228**	**7282**
	कुल योग		**353**	**30809**	**14664**	**11512**

अनुलग्नक-1 के अनुसार, बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 353 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 262 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 91 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

स्वीकृत ऋण की दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार चित्र-1 में दिया गया है ।

चित्र-1

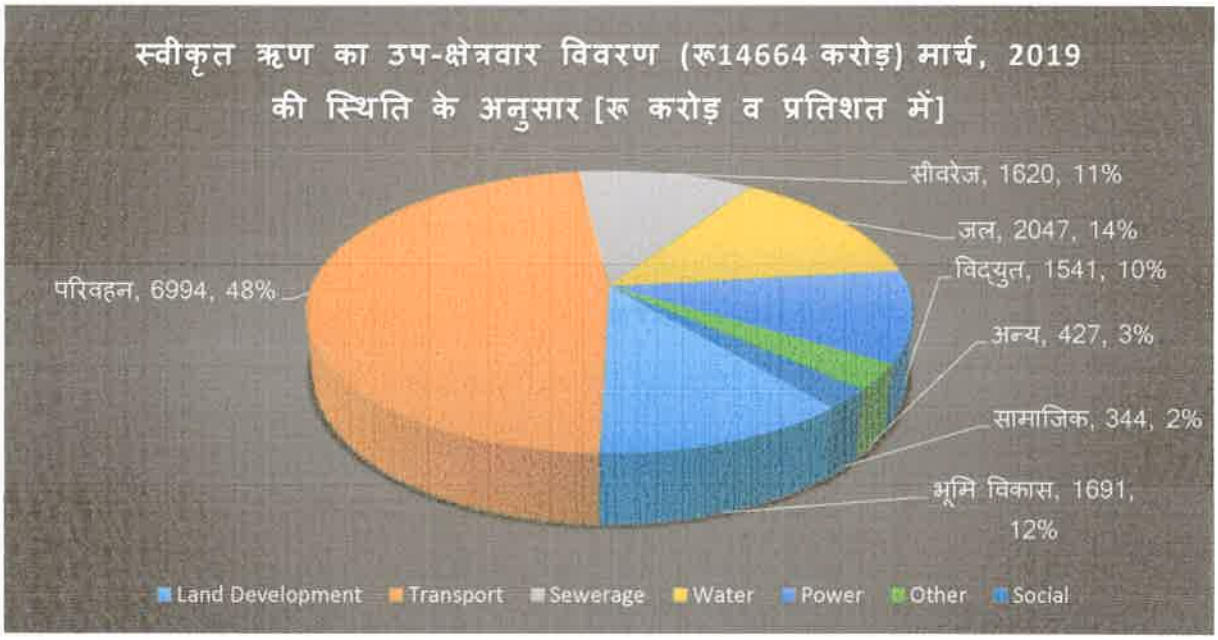

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2019 तक की स्थिति)

(₹ करोड में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण की राशि (मार्च, 19 तक)
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना (14)					
1	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	10.88
2	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	13.21
3	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक सड़क का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-15	27.66	20.75	16.30
4	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फारुखनगर-गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ जन-16	115.11	86.33	59.53
5	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-2015	83.53	62.65	28.26
6	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर एल सी 79 पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	9.26
7	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एलसी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	32.58	11.18	9.47
8	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	29.46	11.29	9.52
9	हिसार, डाबरा चौंक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	74.67	56.00	22.40
10	रोहतक शहर में छोटू राम चौक से पुराने बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	152.83	114.62	45.85

	पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण					
11	दिल्ली के एलसी नं 564 में 2 लेन आरओबी का दिल्ली रेलवे लाइन पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	47.78	23.41	8.19
12	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेरा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	48.88	22.06	7.72
13	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	101.81	76.36	30.54
14	रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	176.00	132.00	52.80
				1010.82	**669.98**	**323.93**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं (10)					
15	कोसली, जिला रेवाडी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.70	6.53	5.22
16	**गणौर** शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	5.64	4.08	1.23
17	**खारखोदा** शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.54	3.26	0.98
18	**समलखा** शहर, जिला पानीपत में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.14	5.19	1.56
19	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और सम्प्ला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य, **झज्जर**	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	11.00	7.91	2.37
20	पलवल जिले के **होडल** शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु बची हुई कॉलोनियों और नई अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज नेटवर्क और नालियों की टैपिंग	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.66	3.50	1.05

21	**कलानौर** शहर, ज़िला रोहतक में बचे हुए क्षेत्रों और नई अनुमोदित बस्तियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी के नवीनीकरण एवं तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	8.26	6.19	1.86
22	**संपला** शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और इसके बाद तृतीयक उपचार	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.93	5.95	1.78
23	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी **सोहना** से नूह ड्रेन तक गंदा पानी निपटान और बैलेंस अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	13.66	10.24	3.07
24	बेरी शहर के अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के **बेरी** में मौजूदा पानी स्थिरीकरण तालाब के आधार पर बने 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर एसबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, क्लोरिनेशन	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	9.28	6.96	2.09
				80.80	**59.80**	**21.20**
	जल क्षेत्र की परियोजनाएं (3 संख्या)					
25	नलहर मेडिकल कालेज एवं नूह कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम	पीएचईडी हरियाणा	अग-11/मई-15	150.00	112.50	90.13
26	पटौदी और हैलीमंडी कस्बे और इसके समीपस्थ सात गांवों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11/मई-15	41.15	30.86	23.88
27	गुडगांव जिले के फारुखनगर कस्बे और पांच गावों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11/मई-15	13.90	10.43	6.78
				205.05	**153.79**	**120.79**
	विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं (1 संख्या)					
28	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरींग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	यूएचबीवीएन	नव-17	19.74	5.93	0.59
				19.74	**5.93**	**0.59**
	हरियाणा उपयोग (28)			**1316.41**	**889.50**	**466.51**
	उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र					
	परिवहन सेक्टर परियोजनाएँ (2 संख्या)					
29	नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा (29.707 क्रिमी) के मध्य मेट्रो सम्बद्धता परियोजना	एनएमआरसी	जन-16	5503	1587	1130
30	जीडीए द्वारा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन	जीडीए	जन-16	1147.60	700	630

	एलीवेटेड रोड (हिंडन) का निर्माण					
				6650.60	**2287**	**1760**
	जल क्षेत्र परियोजनाएँ (1 संख्या)					
31	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	जीएनआईडीए	अग-13	183.19	137.39	83.00
32	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और इस से सम्बंधित निर्माण कार्य	जीएनआईडीए	अग-13	121.48	87.16	87.16
				304.67	**224.55**	**170.16**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
33	इकोटेक-III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	33.82	25.37	17.70
34	इकोटेक-II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	26.14	19.61	14.36
				59.96	**44.98**	**32.06**
	उ.प्र. उप योग (6 संख्या)			**7015.23**	**2556.53**	**1962.22**
	राजस्थान उप क्षेत्र					
	जल क्षेत्र (7)					
35	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	174.86	131.14	94.72
36	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	16.46	12.35	9.19
37	राजगढ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	20.24	15.18	10.96
38	बहरोर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	26.02	19.51	14.49
39	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	40.69	30.52	30.52
40	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिला का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नव-17	36.26	27.19	14.00
41	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना किशनगढ़ बेस, अलवर जिला का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नव-17	21.0551	15.78	7.00
				335.59	**251.67**	**180.88**
	परिवहन क्षेत्र परियोजनाएँ (38)					

42	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्शन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	22.78	17.08	5.12
43	एनएच-8 से पहाडी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) अपग्रेडेशन सुदृढ़ीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.44	11.58	3.47
44	बेहरोर से भुमरिका रोड पर किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.51	10.13	3.04
45	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	56.48	42.36	38.13
46	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर पर जोर सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य अहिर जाटभगोला अलीपुर रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	49.3	36.97	33.27
47	पदिसल-जगता बसई-रट्टा खुर्द-बालन बसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास सड़क	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	25.68	19.26	5.78
48	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्ज तिराया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.59	25.94	7.78
49	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75मी से 7मी कैरिजवे)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	17.62	13.21	3.96
50	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.6	25.95	23.36
51	3 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.45	6.33	1.90
52	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (बड़ौदामेओ गंधुरा लक्ष्मणगढ़) से 3.75 मी से 7.0मी तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.88	11.91	3.57
53	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	42.42	31.81	28.63
54	दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक कि.मी. 8/00 से 38/00 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.31	13.73	4.12

55	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78 (पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	31.42	23.56	7.07
56	तहला मच्छारी रोड एसएच-25ए कि.मी. 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया की चौड़ाई और सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.12	6.09	1.83
57	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-25ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर, 0/0 से 4/500 तक चौडा करना 3.00 मीटर से 7.0/500 तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक 26/300 और 32/400 का सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	10.61	7.95	2.39
58	रोहरा से बाराभडकोल रेनी-माछरी रोड के माध्यम से नवीनीकरण और विकास कार्य कि.मी. 76/0 से 90/0 (एमडीआर-151)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.88	14.16	4.25
59	गोथ की चौकी बिगोटा रोड किलोमीटर 0/0 से 21/0 का उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	3.35
60	घाट के राजपुर बाड़ा वाया देवती कि.मी. 0/0 से 10/800 का उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	3.35
61	राजगढ़ से करोथ रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 तक उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.74	4.3	1.29
62	3.0 मीटर से 7.0 मीटर किलोमीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.3	3.97	1.19
63	0 0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	3.54	2.65	0.80
64	3 मीटर से 7 मीटर कि.मी. 0/0 से 3/500 (एसएच-29ए से थाना) तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.12	4.59	1.38
65	किलोमीटर 0/0 से 3/500 (ए/आर से घटरा) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.17	4.62	1.39
66	कि.मी. 0/0 से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.84	4.38	1.31

	सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन					
67	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	0.64
68	कि.मी. 0/0 से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर तक) 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	0.64
69	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.3	9.97	2.99
70	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से भानोकार) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.87	11.9	3.57
71	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	69.09	51.81	15.54
72	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 कि.मी.पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य 8/825 से 27/745 (चिदवाई-गोविंदगढ़ जिला सीमा अनुभाग तक)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	29.7	22.27	20.04
73	थानागज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड किलोमीटर 99/0 से 120/200 का विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	28.87	21.65	6.50
74	नटनी का बारा मलखेरा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास किलोमीटर 0/04 से 1/400 तक) में उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य, 25/0 से 61/0, एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेदा कथुमार अनुभाग	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	41.16	30.87	9.26
75	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 किमी 60/000 से 70/0 (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ अनुभाग) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.21	10.65	9.59

76	हरसोली-बिबिराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड किलोमीटर 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	23.99	17.99	5.40
77	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 से 40/0 किलोमीटर का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	48.33	36.24	10.87
78	अलीपुर-खेडी-खानपुर दग्रेन-पूर-निमलका-कालगांव-हिंगवाहेडा-तिजारा-फिरोजपुर-जिर्का रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34	25.5	7.65
79	तापुकरा पर 0/0 से 7/500 तक तापुकारा पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.96	10.47	9.42
				824.68	618.39	293.84
	राजस्थान उप योग (45)			**1160.27**	**870.06**	**474.72**
	दिल्ली उप क्षेत्र					
	अन्य(1)					
80	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिली कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	20.00
	दिल्ली उपयोग (1)			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं (1)					
81	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	जल क्षेत्र की परियोजनाएँ (1)					
82	ग्वालियर शहर के लिए जलापूर्ति परियोजना	ग्वालियर नगर निगम	जुलाई-18	398.45	298.84	00
	सीएमए ग्वालियर उप-योग (2)			**474.52**	**340.89**	**31.54**
	राजस्थान में परियोजनाएं - सीएमए जयपुर					
	सीवरेज (1)					
83	जयपुर शहर, जेडीए में अमानीशाह नाला	जेडीए	जन-	1582.06	1098.00	1019.00

	(द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित		2017			
	अन्य (1)					
84	जयपुर शहर में द्रव्यवती नदी पर विभिन्न स्मार्ट समाधानों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पुलिया और ओएंडएम का निर्माण	जेडीए	जुलाई-18	52.49	39.37	
	परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएँ (7)					
85	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनर रोड, डांतली पर विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊँचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	99.92	59.92	36.00
86	जयपुर में पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के साथ साथ, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	166.73	125.00	0.00
87	जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर एलसी-70 सीतापुर के स्थान पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	116.17	79.00	64.00
88	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	57.54	35.50	17.50
89	जयपुर में जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर एलसी-102/2ई जहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	76.57	57.00	36.00
90	जयपुर में आनंद लोक और स्वपन लोक को जोड़ने के लिए पुल सं.107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	29.56	22.00	13.00
91	सोडाला तिकोणीय-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, के पास एलआईसी कार्यालय तक एलीवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जन-2017	249.49	187.00	90.00
				795.98	**565.42**	**256.50**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र जयपुर शहर में कुल परियोजनाएँ (9)			**2430.53**	**1702.79**	**1275.50**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल			**2905.05**	**2043.68**	**1307.04**
	योग			**12498.60**	**6436.01**	**4230.49**

(ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संघटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 64 प्रक्रियाधीन एवं नई परियोजनाओं के लिए ₹993.44 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1.	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	4069.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	जलापूर्ति	1017.00
2.	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्शन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	2278.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	512.00
3.	एनएच-8 से पहाडी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) अपग्रेडेशन सुदृढ़ीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	1544.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	347.00
4.	बेहरोर से भुमरिका रोड पर किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	1351.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	304.00
5.	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	5648.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1271.00
6.	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर पर जोर सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य अहिर जाटभगोला अलीपुर रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500	4930.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1109.00
7.	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78(पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य।	3142.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	707.00
8.	तहला मच्छारी रोड एसएच-25ए कि.मी. 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया की चौड़ाई और सुदृढीकरण	812.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	183.00
9.	रोहरा से बाराभडकोल रेनी-माछरी रोड के माध्यम से नवीनीकरण और विकास कार्य कि.मी. 76/0 से 90/0 (एमडीआर-151)	1888.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	425.00
10.	गोथ की चौकी बिगोटा रोड किलोमीटर 0/0 से 21/0 का उन्नयन	1487.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	335.00
11.	राजगढ से करोथ रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 तक उन्नयन	574.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	129.00
12.	3.0 मीटर से 7.0 मीटर किलोमीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक सुदृढ़ीकरण	530.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	119.00

13.	0 0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण	354.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	80.00
14.	3 मीटर से 7 मीटर कि.मी. 0/0 से 3/500 (एसएच-29ए से थाना) तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	612.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	138.00
15.	किलोमीटर 0/0 से 3/500 (ए/आर से घटरा) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	617.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	139.00
16.	कि.मी. 0/0 से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	584.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	131.00
17.	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	283.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	64.00
18.	कि.मी. 0/0 से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर तक) 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	283.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	64.00
19.	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	1330.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	299.00
20.	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से भानोकार) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	1587.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	357.00
21.	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75मी से 7मी कैरिजवे)	1762.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	396.00
22.	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	3460.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	779.00
23.	3 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	845.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	190.00
24.	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (बड़ौदामेओ गंधुरा लक्ष्मणगढ़) से 3.75 मी से 7.0मी तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं उन्नयन	1588.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	357.00
25.	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	4242.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	954.00
26.	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	6909.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1554.00

27.	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 कि.मी.पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य 8/825 से 27/745 (चिदवाई-गोविंदगढ़ जिला सीमा अनुभाग तक)	2970.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	668.00
28.	थानागज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड किलोमीटर 99/0 से 120/200 का विकास	2887.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	650.00
29.	नटनी का बारा मलखेरा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास किलोमीटर 0/04 से 1/400 तक) में उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य, 25/0 से 61/0, एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेदा कथुमार अनुभाग	4116.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	926.00
30.	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 किमी 60/000 से 70/0 (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ अनुभाग) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	1421.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	320.00
31.	हरसोली-बिबिराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड किलोमीटर 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	2399.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	540.00
32.	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 से 40/0 किलोमीटर का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	4833.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1087.00
33.	अलीपुर-खेड़ी-खानपुर दग्रेन-पूर-निमलका-कालगांव-हिंगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-जिर्का रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	3400.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	765.00
34.	तापुकरा पर 0/0 से 7/500 तक तापुकारा से मिलकपुर पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	1396.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	314.00
35.	एचएसआईआईडीसी, हरियाणा द्वारा नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी) का विकास (शेष कार्य)	45781.00	एचएसआई आईडीसी	सड़क	928.00
36.	**गणौर** शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	563.71	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	122.50
37.	**खारखोदा** शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	453.98	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	97.79
38.	**समलखा** शहर, जिला पानीपत में तृतीयक उपचार के बाद	713.84	पीएचईडी,	सीवरेज	155.57

	एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीकरण		हरियाणा		
39.	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और सम्प्ला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य, **झज्जर**	1099.79	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	237.21
40.	पलवल जिले के **होडल** शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु बची हुई कॉलोनियों और नई अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज नेटवर्क और नालियों की टैपिंग	466.15	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	104.88
41.	**संपला** शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और इसके बाद तृतीयक उपचार	792.83	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	178.39
42.	बेरी शहर के अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के **बेरी** में मौजूदा पानी स्थिरीकरण तालाब के आधार पर बने 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर एसबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, क्लोरिनेशन	927.81	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	208.76
43.	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरींग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	1974.00	यूएचबीवीएन लि.	विद्युत	59.00
44.	जयपुर शहर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	158206.00	जेडीए, राजस्थान	सीवरेज व ड्रेनेज	19500.00
44(क)	जयपुर शहर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	158206.00	जेडीए, राजस्थान	सीवरेज व ड्रेनेज	10500.00
45.	बहरोर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2602.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	669.00
1 (क)	भिवाड़ी जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	4069.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	जलापूर्ति	849.00
46.	पदिसल-जगता बसई-रट्टा खुर्द-बालन बसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास सड़क	2568.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	578.00
47.	दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक कि.मी. 8/00 से 38/00 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का कार्य	1831.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	412.00
48.	घाट से राजपुर बाड़ा वाया देवती कि.मी. 0/0 से 10/800 का उन्नयन	1487.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	335.00

49.	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्ज तिराया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	3459.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	778.00
50.	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-25ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर, 0/0 से 4/500 तक चौड़ा करना 3.00 मीटर से 7.0/500 तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक 26/300 और 32/400 का सुदृढीकरण	1061.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	239.00
5 (क)	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	5648.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	2542.00
6 (क)	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर पर जोर सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य अहिर जाटभगोला अलीपुर रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500	4930.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	2218.00
30(क)	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 किमी 60/000 से 70/0 (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ अनुभाग) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	1421.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	639.00
51.	पानीपत जिले में एलसी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	3254.00	पीडब्ल्यूडी, हरियाणा	सड़क	500.00
52.	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	2946.00	पीडब्ल्यूडी. हरियाणा	सड़क	500.00
53.	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	1646.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	424.00
54.	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और इस से सम्बंधित निर्माण कार्य	12148.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	जल शोधन	2416.00
55.	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	4242.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1909.00
56.	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 कि.मी.पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य 8/825 से 27/745 (चिदवाई-गोविंदगढ़ जिला सीमा अनुभाग तक)	2970.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	1336.00
57.	तापुकरा पर 0/0 से 7/500 तक तापुकारा पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	1396.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	628.00
58.	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण	3460.00	पीडब्ल्यूडी,	सड़क	1557.00

	और विकास कार्य		राजस्थान		
59.	जयपुर शहर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	158206.00	जेडीए, राजस्थान	सीवरेज	7900.00
60.	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिला का पुनर्गठन	3626.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	1400.00
61.	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना किशनगढ़ बेस, अलवर जिला का पुनर्गठन	2105.51	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	700.00
62.	**कलानौर** शहर, ज़िला रोहतक में बचे हुए क्षेत्रों और नई अनुमोदित बस्तियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी के नवीनीकरण एवं तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन	825.59	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	185.76
63.	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी **सोहना** से नूह ड्रेन तक गंदा पानी निपटान और बैलेंस अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	1365.92	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	307.33
64.	जीडीए द्वारा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का निर्माण	114760.00	जीडीए	सड़क	21000
					99344.19

क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

2018-19 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	₹ लाख में
जलापूर्ति/ जल शोधन	7475.00
सीवरेज/ड्रेनेज	39498.19
सड़कें एवं आरओबी	52312.00
विद्युत	59.00
कुल	**99344.19**

(अनुमानत: ₹993.44 करोड़)

घ.(i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार की बजटीय सहायता

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹50 करोड़ ।
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान - ₹5.56 करोड़ ।

आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन

- आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज - ₹379.52 करोड़ ।
- ऋण लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान - ₹329.57 करोड़। राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(₹ लाख में)

ब्यौरा	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
पूंजी*	50.00	1044.65***
राजस्व**	5.56	

** अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।*

*** राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक संसाधनों से पूर्ण किए गए।*

****31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाते के अनुसार। इसमें बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/उनकी एजेंसियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं।*

(ii) संसाधन संग्रहण

घरेलू पूँजी बाजार

- वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया उधार शून्य है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बॉण्ड को सीआरआईएसआईएल (CRISIL) तथा आईसीआरए (ICRA) द्वारा दी गई 'एएए' (स्टेबल आउटलुक) जारी रही। यह उच्चतम पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स है जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्त पोषण

एशियाई विकास बैंक से ऋण (एडीबी)

- 78 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली ट्रेंच के लिए ऋण अनुबंध पर 17 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ट्रेंच-1 की राशि 78 मिलियन डालर में से 18 मिलियन डालर की राशि को रद्द कर दिया

गया। इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। बोर्ड ने ऋण समाप्ति तिथि 31.12.2014 से पूर्व ही ट्रेंच-1 की कुल ऋण राशि 60 मिलियन डालर का उपयोग कर लिया है।

- बोर्ड एडीबी को नियमित रूप से अपनी देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, एडीबी के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) $55.96 मिलियन है।

<u>जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण</u>

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए ₹100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंधों पर 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष होगा। ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83% प्रति वर्ष है। बोर्ड ने ऋण समाप्ति तिथि 31.12.2018 से पूर्व ही कुल ऋण राशि यूरो 100 मिलियन का उपयोग कर लिया है।
- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) €80.00 मिलियन है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(iv) क्षमता विकास संबंधी प्रयास-पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा।

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एवं उसके हितधारियो की क्षमता के विकास हेतु तकनीकी सहायता के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा परामर्शदात्री कंपनी मैसर्स

जीकेडब्ल्यू कन्सल्ट जीएमबीएच (पूर्व में मैसर्स लाहमेयर जीकेडब्लूकन्सल्ट, जर्मनी) का अनुमोदन तथा नियुक्ति की गई है।

ङ. नई पहल

- बोर्ड की 15.06.2016 को सम्पन्न 36वी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बोर्ड ने प्रतिभागी राज्यो/सीएमए को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली ऋण सहायता पर ब्याज़ दर घटा दी है। प्राथमिक अवसंरचना परियोजना पर ब्याज़ दर 7.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष एवं अन्य अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय/औद्यौगिक/व्यावसायिक परियोजनाएँ) के लिए 8.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष कर दी गई है।

- बोर्ड ने प्राथमिक अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का अधिस्थगन काल भी शामिल है। मेट्रो/रैपिड रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए भी ऋण की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है जिसमे मूल धन की वापसी हेतु 5 वर्ष का ऋण स्थगन काल भी शामिल है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से एनसीआर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने परियोजना लागत का 15% अनुदान रूप में देने का अनुमोदन किया है। परिवहन, जल और सेनिटेशन जैसी लंबी अवधि और कम रिटर्न वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने इन पर ब्याज दर 7.50% प्रति वर्ष कर दी है।

च. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	16*	7
समूह 'ख'	6	4
समूह 'ग'	24	23
समूह 'घ'	7	7
कुल	53	41

*इसमे 3 नए पद (लॉ अधिकारी, सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) एवं सहायक निदेशक (सुरक्षा उपाय)) शामिल है जिनके लिए भर्ती नियमों की अधिसूचना अब तक लम्बित है।

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी को **अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत अल्पसंख्यक कर्मचारियों** के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में वित्त एवं लेखा अधिकारी को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं सबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मो, जिन्हें डाऊनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 6 जन सूचना अधिकारियों और 2 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्रक्रिया तैयार की गई है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि में इस अधिनियम के तहत 65 आवेदन प्राप्त हुए। बोर्ड कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

v) संगठनात्मक संरचना

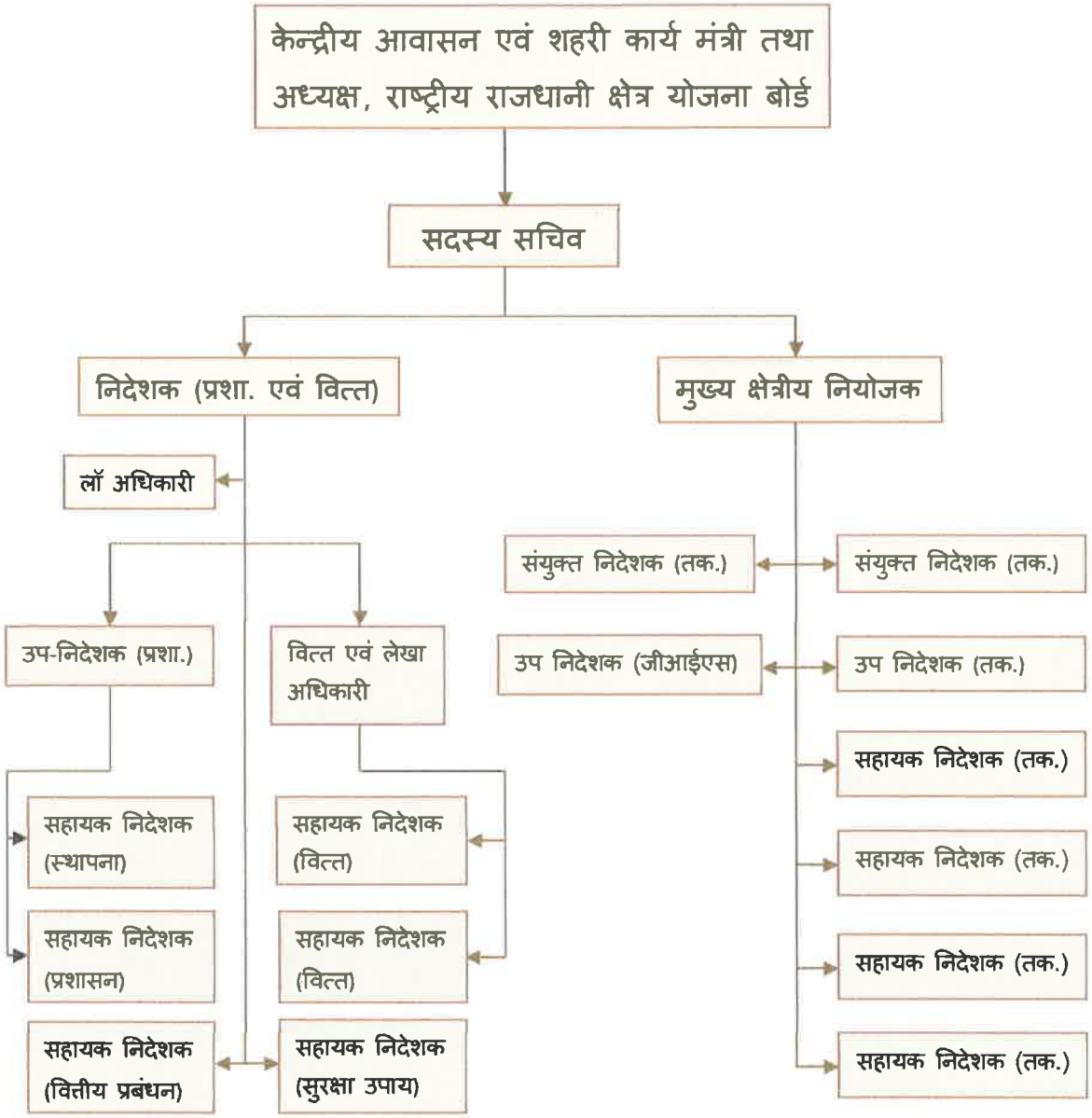

संगठनात्मक संरचना जारी ...

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजय के मूर्ति	सदस्य सचिव
2.	**पद रिक्त**	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3.	**पद रिक्त**	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
6.	**पद रिक्त**	लॉ अधिकारी
7.	श्री पी. के. जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी
8.	श्री हर्ष कालिया	उप निदेशक (प्रशा.)
9.	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (तक.-जीआईएस)
10.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.-यूआरपी)
11.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.)**
12.	श्री श्रीमती नीलिमा माझी	उप निदेशक (तक.) **
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (तक.)
15.	श्री एस.एच. अस्गर	सहायक निदेशक (वि.प्र.)- पीएमसी/पीएमयू#
16.	श्री आर.एस. गंग्वार	सहायक निदेशक (सु.उ.)- पीएमसी/पीएमयू#
17.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.) **
18.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
19.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (प्रशा.)
20.	श्री देवेंद्र कुमार	सहायक निदेशक (वित्त)
21.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (स्था.)

* भर्ती नियम अधिसूचित किए जाने शेष है

** आकलन योजना के तहत अनुदानित गैर कार्यात्मक उन्नयन

अल्पावधि अनुबंध के आधार पर अस्थायी पद पर नियुक्त।